



520/11

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4439/05/76/एक/2016-17
सेवा में,

दिनांक : 16 दिसम्बर 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-महराजगंज।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है।

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	21246245151	IFSC Code ALLA0212192	246.149

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	एससीपी-83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	महराजगंज	एससीपी	न0प0 सिसवां	वार्ड नं० 04 में सी0एस0टी0एन0 रोड के पास मोलई चौहान के घर से दूबे के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	59.850
2	महराजगंज	एससीपी	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 13 महेन्द्रनगर में थापा के घर से खान साहब के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	4.813
3	महराजगंज	एससीपी	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 13 महेन्द्रनगर में रहमत अली के घर से राजेन्द्र मौर्या के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	3.192
4	महराजगंज	एससीपी	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 13 महेन्द्रनगर में जदू के घर से मंसूरी अली के घर के सामने पुलिया तक नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	15.717
5	महराजगंज	एससीपी	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 13 महेन्द्रनगर में कोइल के मकान से गाडसन सीटी के पीछे तक नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	3.674
6	महराजगंज	एससीपी	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 13 महेन्द्रनगर में नौतनवां रोड से महताब के मकान से आगे तक नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	3.514
7	महराजगंज	एससीपी	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 13 महेन्द्रनगर में संजय के मकान से सोहन के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	9.195
8	महराजगंज	एससीपी	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 13 महेन्द्रनगर में लम्बू वैद्य के घर से केदार हरिजन के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	3.674
9	महराजगंज	एससीपी	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 13 महेन्द्रनगर में महेन्द्र जायसवाल के घर से वर्मा के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.055
10	महराजगंज	एससीपी	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 05 अम्बेडकर नगर में गौरिया टोला के रोड से सुनील के जमीन तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	10.756
11	महराजगंज	एससीपी	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 08 मधुवन नगर में अनिल अग्रवाल के जमीन के सामने से कानवेन्ट स्कूल वाली रोड से होते हुए खलील के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	32.234
12	महराजगंज	एससीपी	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 08 मधुवन नगर में कानवेन्ट स्कूल की पुलिया से तीखे का मकान होते हुए शिव पूजन अग्रहरी के सामने पुलिया तक मय गलियों	12.042



520/2

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-228001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	एससीपी-83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
13	महराजगंज	एससीपी	न०पा०प० नौतनवां	वार्ड नं० 08 मधुवन नगर में हरि जायसवाल के मकान से नाला होते हुए मन्दिर वाली सड़क तक दोनों तरफ मय गलियों सहित नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	14.422
14	महराजगंज	एससीपी	न०पा०प० नौतनवां	वार्ड नं० 08 मधुवन नगर में आशिक अली के मकान से मुन्ना के मकान तक मय गलियों सहित दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	11.966
15	महराजगंज	एससीपी	न०पा०प० नौतनवां	वार्ड नं० 05 में पटवा जी के घर से बौलिया काली मंदिर तक नाली चौड़ीकरण एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	43.671
16	महराजगंज	एससीपी	न०पा०प० नौतनवां	वार्ड नं० 08 मधुवन नगर में प्रयाग चाचा के घर के पीछे से तीजे थापा के घर होते हुए कानवेण्ट स्कूल तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4.733
17	महराजगंज	एससीपी	न०पा०प० नौतनवां	वार्ड नं० 07 में रामबेलास के घर वाया अयोध्या के घर होते हुए विजय शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.641
	योग				246.149

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय एससीएसपी योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।



520/3

दूरभाष- 2286709

2286710

नव येतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 10- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 11- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी नहीं गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधि० अभियन्ता-सूडा
3. कम्प्यूटर सेल-सूडा।
4. लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक